न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 95/2016

1. श्री रामकरण पुत्र श्री सुखदेव
2. श्री रामचंद्र पुत्र श्री उगमा
   जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम नायकी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्टस*

बनाम

1. श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. श्री रामदेव पुत्र श्री बच्छराज जाति जाट निवासी गुर्जरवाड़ा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
4. हल्का पटवारी हुवालिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
5. श्री बालू पुत्र श्री बलदेव
6. नारायणी पत्नी श्री बलदेव
   जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

7. श्रीमती अमरी बेवा लादू जाति गुर्जर निवासी ग्राम नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*प्रोफोर्मा रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खड़ग सिंह, वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।
4. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक 03.05.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील केकड़ी के राजस्व ग्राम नायकी स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 214 में अंकित खसरा नम्बर 72 रकबा 0.12 व खाता संख्या 215 में अंकित खसरा नम्बर 72/1511 रकबा 0.37, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.62 हैक्टर भूमि के रेकार्डेड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 72 में से 0.06, खसरा नम्बर 72/1511 में से 0.04 व खसरा नम्बर 73 में से 0.38 कुल किता 3 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि जरिये

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.2016 से श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर एवं श्री रामदेव पुत्र श्री बच्छराज जाति जाट निवासी गुर्जरवाड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर को विक्रय कर दी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रयशुद्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनांक 13.07.2016 क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 13.07.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 5 जरिये वकील उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट में अपील में उठाये गये तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 के द्वारा एक वाद विरूद्व राज्य सरकार आराजी खसरा नम्बर 45/2 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 45/2/2 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 45/2/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 45/2/3 रकबा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 45/2/4 रकबा 15 बिस्वा जिसके नये नम्बर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल से क्रमशः खसरा नम्बर 21 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 71/1512 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 0.88 बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी को गलत रूप से सिवायचक .दर्ज कर दिया गया है जबकि उपरोक्त आराजी को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के पति ने श्योजी पुत्र श्री कल्याण से क्रय की थी। उन्होंने आगे कथन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 45/2/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 45/2/3 रकबा 19 बिस्वा, व खसरा नम्बर 45/2/4 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टस पिछले 35 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे है। इसके बावजूद भी बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये गैर कानूनी रूप से दिनांक 24.06.1999 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 ने अपने पक्ष में उपखण्ड अधिकारी केकड़ी से वाद को डिक्री करवा लिया, जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा एक अपील संख्या 14/2008 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष पेश की गई जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त मानकर अपील स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री को खारिज करते हुए अपील रिमाण्ड कर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी को निर्देशित किया गया अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 द्वारा एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनांक 13.07.2016 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार केकड़ी को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु अपीलान्ट स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 03.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner